स्थाई विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण

विशेष लेखः 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर

***डॉ. पी.जे. सुधाकर**

स्थाई विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य है। औद्योगिक प्रदूषण, वनों के ह्रास, ओजोन परत की समाप्ति, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन जैसे कारणों से धरती का तापमान बढ़ने और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जैव विविधता संरक्षण, आर्द्र भूमि की संरक्षा और पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने जैसे उपायों की आवश्यकता है। पर्यावरण की संरक्षा के बारे में भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इस बारे में अनेक कानून अधिनियमित किए गए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जल एवं वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम आदि। न्यायपालिका पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। न्यायिक सक्रियता के जरिए उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट अधिकार क्षेत्र के तहत आदेश जारी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने कई संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशंस पारित की हैं, जैसे आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन और जैव विविधता के बारे में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन आदि।

विश्व पर्यावरण दिवस समूचे विश्व में हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। धरती का तापमान बढ़ना और जलवायु परिवर्तन

ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, धरती के वायुमंडल और इसके समुद्रों के औसत तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना। इसे एक ऐसा परिवर्तन समझा जा रहा है जो धरती की जलवायु में स्थाई परिवर्तन करने वाला है। हालांकि यह बहस अभी जारी है, फिर भी, वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस ग्रह का तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा वास्तविक है। पिछली सहस्राब्दियों की तुलना में औसत वैश्विक तापमान अधिक दर्ज हो रहे हैं, और वायुमंडल में कार्बन डाइआक्साइड के स्तर पिछले सभी रिकार्ड तोड़ चुके हैं। जलवायु बदल रही है। धरती पर गर्मी बढ़ रही है और जो कुछ घट रहा है, उसके प्रति वैज्ञानिक अत्यंत चिंतित हैं। यह सब मानव द्वारा दुष्प्रेरित है। धरती का तापमान बढ़ने के साथ प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों में कमी आ रही है, पारिस्थितिकी प्रणाली के प्राकृतिक अनुकूलन की संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं। अनेक विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन उन सबसे बड़े खतरों में से एक है, जिनका सामना इस ग्रह को करना पड़ रहा है। हाल के वर्षों

में पता चला है कि विभिन्न क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि दर्ज हुई है और मौसम की प्रवृत्तियों में विषमताएं बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों का संकेंद्रण बढ़ने के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन से समुदायों और पारिस्थितिकी प्रणालियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। विशेष रूप से कृषि, वानिकी, जल संसाधन, मानव स्वास्थ्य, तटवर्ती बस्तियों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों को बदलती जलवायु के साथ अनुकूलन की आवश्यकता होगी, अथवा उन्हें नष्ट होने के खतरों का सामना करना होगा। जलवायु की बदलती प्रवृत्तियों, और विशेष रूप से संवर्धित आवृत्ति एवं विषम घटनाओं की अधिकता से प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ेगी, जिनमें सूखा और बाढ़ एवं चक्रवातों जैसी आपदाएं शामिल हैं।

वन संरक्षण

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी में वनों की भूमिका पर 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में बल दिया गया था। इसमें पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने, पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने और बचे हुए वनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस नीति के अन्य लक्ष्यों में ईंधन की लकड़ी, चारा, और ग्रामीण एवं जनजातीय लोगों के लिए लघु इमारती लकड़ी की जरूरतें पूरी करना और वन संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों को सक्रिय भागीदार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में भी 1988 में संशोधन किया गया ताकि संरक्षण के कड़े उपाय लागू किए जा सकें। 2009 में भारतीय राष्ट्रीय वन नीति दस्तावेज में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि वन संरक्षण और स्थायी वन प्रबंधन की दिशा में भारत के प्रयासों को एकजुट किए जाने की आवश्यकता है। भारत वन प्रबंधन को इस रूप में परिभाषित करता है कि जनजातीय समुदायों की आर्थिक जरूरतों की अनदेखी न की जाए; बल्कि वैज्ञानिक वानिकी के जरिए राष्ट्र की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और स्थानीय मुद्दों के हल पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

आर्द्र भूमि संरक्षण

आर्द्र भूमियां जटिल पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं और इनके अंतर्गत अंतर-देशीय, तटीय और समुद्री आबादियों का विशाल क्षेत्र शामिल है। उनमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह की पर्यावरणीय विशेषताएं हैं और वे अपने जीनेसिस, भौगोलिक स्थान, जलीय व्यवस्थाओं और अधःस्तर घटकों के आधार पर व्यापक विविधता को दर्शाते हैं। इनमें व्यापक मैदान, जलमग्न क्षेत्र, कछार, मछली तालाब, ज्वारभाटा संबंधी कछार, प्राकृतिक और मानव निर्मित आर्द्र भूमियां शामिल हैं। सर्वाधिक उत्पादक जीवन समर्थक होने के नाते, आर्द्र भूमियों का मानव मात्र के लिए व्यापक सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिकी विषयक महत्व है। वे प्राकृतिक जैव विविधता के अस्तित्व के लिए परम आवश्यक हैं। वे पशु पक्षियों, स्थानिक पौधों, कीटों और प्रवासी पक्षियों की खतरे में पड़ी और दुर्लभ प्रजातियों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराती हैं।

भारत में आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों की विशाल सम्पदा है, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। भारत आर्द्र भूमियों के बारे में रामसर कन्वेंशन और जैव विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है। प्रत्येक आर्द्र भूमि संसाधन की भौतिक और जैविक विशेषताओं के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, और इस जानकारी से लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी नियमन के अलावा बेहतर निगरानी पद्धति का विकास करने की आवश्यकता है। इसके लिए आर्द्र भूमि गतिशीलता और उनसे संबंधित नियंत्रक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ जरूरी है। विश्व के विशाल विविधता वाले देशों में से एक होने के नाते भारत को इन पारिस्थितिकी प्रणालियों की उनसे सम्बद्ध वनस्पतियों एवं प्राणियों की विविधता सहित संरक्षण करने के प्रयास करने चाहिए। आर्द्र भूमियों से संबंधित कन्वेंशन पर 1971 में रामसर, ईरान में हस्ताक्षर हुए थे। यह एक अंतर-सरकारी संधि है, जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्तिसंगत उपयोग में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इस कन्वेंशन में वर्तमान नें 158 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें 1758 आर्द्र भूमि स्थल हैं, जिनका क्षेत्रफल 16.1 करोड़ हेक्टेयर है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। किसी एक खास पारिस्थितिकी प्रणाली के बारे में रामसर कन्वेंशन एकमात्र वैश्विक पर्यावरण संधि है। आर्द्र भूमियों के बारे में रामसर कन्वेंशन का विकास इस बात की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था, कि आर्द्र भूमि परिवास किस गति के साथ लुप्त होते जा रहे हैं। उनके लुप्त होने के कारणों में आर्द्र भूमियों के महत्वपूर्ण कार्यों, तत्संबंधी मूल्यों, वस्तुओं और सेवाओं की समझ का अभाव शामिल है। इस कन्वेंशन में शामिल सरकारें आर्द्र भूमियों की क्षति और ह्रास के इतिहास को बदलने में सहायता करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करने की इच्छुक हैं। इसके अतिरिक्त अनेक आर्द्र भूमियां अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के अंतर्गत आती हैं, जो दो या अधिक देशों की सीमाओं में हैं अथवा ऐसे नदी थालों का हिस्सा हैं, जिनमें एक या अधिक देश शामिल हैं।

जैव विविधता का संरक्षण

जैव विविधता का संरक्षण आज समय की आवश्यकता है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 एक संघीय कानून है, जो भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। इसमें परम्परागत जैविक संसाधनों और ज्ञान के इस्तेमाल से होने वाले लाभ समान रूप से साझा करने की व्यवस्था है। यह कानून जैविक विविधता कन्वेंशन (सीबीडी) के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जिसका भारत भी एक पक्ष है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 2003 में की गई थी जिसका उद्देश्य भारत के जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करना है। एनबीए सांविधिक, स्वायत्त निकाय है और यह संरक्षण, जैविक संसाधनों के स्थाई इस्तेमाल और जैविक संसाधनों के

इस्तेमाल से होने वाले लाभों के समान वितरण जैसे मुद्दों के बारे में भारत सरकार की ओर से सुविधा प्रदाता, नियामक और परामर्शी कार्यों में योगदान करता है।

वन्य जीव संरक्षण

वन्य जीव संरक्षण खतरे में पड़ी पादप और मवेशी प्रजातियों और उनके परिवासों की संरक्षा करने की एक पद्धति है। वन्य जीव संरक्षण के लक्ष्यों में प्रकृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाना और मनुष्य के लिए वन्य जीवों और वन भूमि के महत्व को समझना शामिल है। अनेक देशों में वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध सरकारी एजेंसियां हैं, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए तैयार की गई नीतियों के कार्यान्वयन में मदद करती हैं। मुनाफा न कमाने वाले अनेक स्वतंत्र संस्थान भी हैं, जो विभिन्न वन्य जीव संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वन्य जीवन पर मानव गतिविधि के नकारात्मक प्रभावों के कारण वन्य जीव संरक्षण एक महत्वपूर्ण पद्धति बनता जा रहा है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 2002 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्य विषयक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी विषयक मूल्यों से भारत में बाघों की सक्षम संख्या सुनिश्चित करना और जैविक महत्व के क्षेत्रों को हमेशा के लिए एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित करना है ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें, उससे शिक्षा और मनोरंजन प्राप्त कर सकें। हाथी परियोजना एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जो फरवरी 1992 में उन राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरु किया गया था, जिनमें हाथियों की संख्या अधिक है। इसका उद्देश्य हाथियों, उनके प्राकृतिक निवासों और मार्गों का संरक्षण करना है।

ओजोन की परत का ह्रास

ओजोन की परत का ह्रास दो विशिष्ट सम्बद्ध धारणाओं का वर्णन करता है, जो 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में सामने आई थीं, ये हैं - धरती के समताप मंडल (ओजोन परत) के कुल आकार में करीब 4 प्रतिशत की निरंतर क्षति और धरती के ध्रुवीय क्षेत्रों में समताप मंडलीय ओजोन में वसंत ऋतु की अवधि में भारी कमी। इनमें से वसंत ऋतु में कमी की धारणा को ओजोन होल यानी ओजोन छिद्र के रूप में वर्णित किया जाता है। इन जानीमानी समताप मंडलीय धारणाओं के अतिरिक्त वसंत ऋतु के दौरान ध्रुवीय ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ह्रास गतिविधियां भी सामने आती हैं, ध्रुवीय ओजोन छिद्र निर्माण के ब्यौरे मध्य अक्षांश के ऊपर परत कम होने से अलग तरह के होते हैं, परंतु दोनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया अटोमिक हेलोजेन्स द्वारा ओजोन की उत्प्रेरक क्षति से सम्बद्ध है। समताप मंडल में इन हेलोजन परमाणुओं का मुख्य स्रोत मानव निर्मित हेलोकार्बन रेफ्रिजेरेंट्स (सीएफसीज़, फ्रेओन्स, हेलोन्स) का फोटो डिसोसिएशन है। ये मिश्रण सतह से उत्सर्जित होने के कारण समताप मंडल में पहुंचते

हैं। हेलो-कार्बन्स के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण ओजोन की परत में दोनों तरह के ह्रास दिखाई दिए हैं। सीएफसी और अन्य योगदानकर्ता पदार्थों को ओजोन-ह्रास पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों का इस्तेमाल सूरज से निकलने वाली परा-बैंगनी किरणों से मानव की रक्षा करने वाली ओजोन परत की संरक्षा के लिए किया जाता है।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) एक ऐसा मूल्यांकन है, जिसके जरिए किसी प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण पर संभावित प्रभावों का पता लगाया जाता है। इन प्रभावों में पर्यावरण संबंधी, सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल होते हैं। इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णयकर्ता किसी परियोजना को शुरू करने या न करने के बारे में निर्णय करते समय पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभाव पर अवश्य विचार करें। प्रभाव मूल्यांकन से सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएआईए) ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को "विकास संबंधी प्रस्तावों के बारे में प्रमुख निर्णय करने और प्रतिबद्धताएं व्यक्त करने से पहले उनके जैवभौतिकी, सामाजिक और अन्य सम्बद्ध प्रभावों की पहचान, पूर्वानुमान और मूल्यांकन करने" के रूप में परिभाषित किया है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इस अर्थ में बेजोड़ होते हैं कि उनके लिए किसी प्रकार के पूर्व निर्धारित पर्यावरणीय परिणाम से जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे निर्णयकर्ताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपने निर्णयों में पर्यावरण संबंधी मूल्यों की गणना करें और उन निर्णयों को विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययनों और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जनता की टिप्पणियों के संदर्भ में न्यायोचित ठहराएं।

पर्यावरण और भारतीय संविधान

भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी प्रदान करता है। मेनका गांधी मामले में अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया था। इसमें कहा था कि 'जीवन' सिर्फ भौतिक अस्तित्व से सम्बद्ध नहीं है, बल्कि इसके दायरे में मानवीय गरिमा के साथ जीवन शामिल है। अदालत ने यही विचार फ्रांसिस कोरालिए बनाम संघ शासित क्षेत्र दिल्ली मामले में भी व्यक्त करते हुए कहा था कि जीवन का अधिकार मात्र पशुओं के अस्तित्व तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार भी शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्बद्ध अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों पर संगठित करने के उपाय करेगा। अनुच्छेद 48क में फिर से यह कहा गया है कि राज्य देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार एवं उसके संरक्षण के कदम उठाएगा। एमसी मेहता (2) बनाम भारत सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 48क के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा विभिन्न स्थानीय निकायों

और सांविधिक बोर्डों को निर्देश दिया था कि वे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समुचित उपाय करे। संविधान के अनुच्छेद 51क में कहा गया है कि यह भारत के नागरिकों का दायित्व होगा कि वे वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की संरक्षा और उनमें सुधार करें तथा जीवन के प्रति करुणा का भाव रखें।

पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका

हमारे संविधान के सर्वाधिक मौलिक हिस्सों में से एक यह है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल करना स्वयं संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक बुनियादी अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, निषेधाज्ञा, यथास्थिति वारंट और उत्प्रेषण लेख के रूप में रिट आदेशों सहित निर्देश अथवा आदेश रिट जारी करने के अधिकार हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों का अधिकार अधिक व्यापक है। परंतु, यह ध्यान देने की बात है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी क्षेत्रों में स्थित न्यायालयों में लागू होता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अपने समक्ष विचारणीय किसी कार्य या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने ऐतिहासिक निर्णयों की श्रंखलाओं में अनेक बहुमूल्य उपाय किए हैं। पिछले वर्षों से शीर्ष न्यायालय पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सभी सम्बद्ध पक्षों को कारगर आदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के विश्लेषण से पता चलता है कि शीर्ष न्यायलय ने अपने रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल अनेक अवसरों पर किया जिनमें श्रीराम इंडस्ट्रीज़ से क्लोरीन जैसी खतरनाक गैसों के रिसाव का मामला शामिल है, जिसमें अल्कोहल संयंत्रो से निकलने वाले कचरे को निकटवर्ती नालों में फैंकने के कारण रिसाव हुआ, जिससे आपत्तिजनक प्रकोष्ठों के फैलने के अलावा मच्छर पैदा होने की समस्या का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार चर्म शोधन कारखानों द्वारा अत्यंत जहरीला उत्सर्जन, नियोक्ता की लागत पर श्रमिकों के लाभ के लिए सुरक्षा और बीमा, जनहित याचिकाओं के रूप में पर्यावरण से संबंधित जन शिकायतों पर सुनवाई करना, नुकसानदायक औषधियों पर प्रतिबंध संबंधी मुकदमे, नगरीय मल-जल और औद्योगिक उत्सर्जित जल से पवित्र गंगा नदी में प्रदूषण पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव डालनेवाले अवैध उत्खनन, तमिलनाडु में गैर-उपचारित मल-जल डालने से नदी जल प्रदूषित होने, वन वृद्धि के लिए हानिकारक सतत विकास पर रोक लगाने, विश्व के सात आश्चर्यों में से एक ताजमहल को क्षति पहुंचने, लोगों को

श्वसन और अन्य रोगों के कष्ट से बचाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने जैसे मामले शामिल थे। पर्यावरण प्रदूषण किसी एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह राज्यों और राजनीतिक सीमाओं से परे भूमि, जल, वायु, आकाश सभी को दूषित कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों को समझना और जीवधारियों पर इसके भावी प्रभाव के खिलाफ कानूनी, राजनीतिक और वैज्ञानिक जंग अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों जैसे सभी मंचों पर शुरू हो चुकी है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी। इसका लक्ष्य पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी मामलों के तेजी से निपटान सहित पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार को लागू कराना और जान एवं माल की क्षति होने पर राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों का निपटारा करना है। यह एक विशेषज्ञ निकाय है जिसके पास बहु-विषयी मुद्दों से संबंधित पर्यावरणीय विवादों के निपटान के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता है। न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया विधि पर अमल के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित है। न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी चार अन्य पीठ काम कर रही हैं।

पर्यावरण संबंधी कानून

पिछले 2 दशकों में पर्यावरणीय गुणवत्ता में कमी आई है। इसका कारण नीति के अभिप्राय और वास्तविक उपलब्धि के बीच अंतराल है। भारत की पर्यावरण संबंधी समस्याएं मुख्य रूप से देश की अधिक आबादी और सीमित प्राकृतिक संसाधनों से सम्बद्ध हैं। पर्यावरण संरक्षण उन सभी देशों के लिए एक बुनियादी चुनौती है, जो उद्योगीकरण को तेजी से लागू करने के इच्छुक हैं। भारत की पर्यावरण समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। सरकार ने योजनाबद्ध भूमि और जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की है और पर्यावरणीय संसाधनों की संरक्षा को 1976 में संविधान में शामिल कर लिया गया था। 1977 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सरकार पर यह दायित्व डालता है कि वह समूचे समाज की भलाई के लिए पर्यावरण की संरक्षा और उसमें सुधार करे। संविधान के अनुच्छेद 51क (9) में कहा गया है कि ''राज्य पर्यावरण की संरक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के उपाय करेगा''। इसमें यह भी कहा गया है कि ''यह भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार में योगदान करे तथा जीव समूह के प्रति करुणा का भाव रखें''। पर्यावरण के संरक्षण के लिए समय समय पर अनेक कानून बनाए गए हैं, जैसे जैव विविधता

संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम आदि।

स्थाई विकास

आर्थिक विकास का संबंध आमतौर पर नीति निर्माताओं के स्थिर, एकजुट कार्यों और उन समुदायों के साथ भी होता है, जो जीवन स्तर एवं किसी खास क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए काम करते हैं। आर्थिक विकास को अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक संदर्भों में भी देखा जाता है। इन क्षेत्रों में अनेक क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, जैसे मानव पूंजी एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेशन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, साक्षरता और अन्य उपाय। आर्थिक विकास आर्थिक बढ़ोतरी से अलग होता है। आर्थिक विकास का संबंध ऐसे नीतिगत उपायों के साथ है, जो लोगों की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली के लिए किए जाते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि बाजार उत्पादकता की धारणा और जीडीपी में वृद्धि से जुड़ी है। नतीजतन, जैसा कि अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन ने कहा है कि ''आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक पहलू है। हमें भावी पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण वायु, भूमि और पर्यावरण सौंपना चाहिए''।

विश्व पर्यावरण दिवस समूचे विश्व में हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है।

***डॉ. पी.जे. सुधाकर, पत्र सूचना कार्यालय, भोपाल में अपर महानिदेशक (एम एंड सी) हैं।**

(पत्र सूचना कार्यालय फीचर)